



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-37()परावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्था-11/2017/2945 जयपुर दिनांक 09.09.2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद- भरतपुर एवं अलवर।

विषय:- कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके अधीन कार्यरत निम्नांकित कनिष्ठ सहायकों का स्थानान्तरण उनके सम्मुख अंकित स्थान पर कर अवगत करावें:-

बिन्दु संख्या	सर्व श्री/ सुश्री	श्रीमती/ श्रीमती/	कहां से	कहां को
1.	श्री भादरमल		पं.स. वैर, भरतपुर	पं.स. पहाड़ी, भरतपुर
1.	श्रीमती मीनाक्षी		पं.स. बहरोड, जिला अलवर	अन्यत्र
2.	श्रीमती निर्मला		पं.स. बहरोड, जिला अलवर	अन्यत्र
3.	श्रीमती मुकेश यादव		पं.स. बहरोड, जिला अलवर	अन्यत्र
4.	विकास अधिकारी, पं.स. बहरोड, जिला अलवर द्वारा उनके आदेश क्रमांक 568-574, दिनांक 07.06.2019 द्वारा किये गये 09 कनिष्ठ सहायकों के स्थानान्तरण निरस्त कराया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त सभी कनिष्ठ सहायक यथावत कार्यरत रहेंगे।			


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से है।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक की परीविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
4. यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।

(सुनील शर्मा)
संयुक्त सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्राविपंरा जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
- ✓ 3. एसीपी मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
4. सम्बन्धित विकास अधिकारी ।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित पंचायत समिति।


संयुक्त सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त